

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4094
मंगलवार, 25 मार्च, 2025/04चैत्र, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का आधुनिकीकरण

+4094. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के आधुनिकीकरण के लिए कुल कितनी निधि आबंटित की गई है;

(ख) ग्रामीण सहकारी समितियों में डिजिटल भुगतान प्रणाली और ऑनलाइन बैंकिंग शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इन जिलों में एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का विचार है;

(घ) वित्तीय पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन आधारित सहकारी मॉडलों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार कंधमाल, बौध, नयागढ़ और गंजाम में सहकारी नेतृत्व वाले कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार कर रही है?

उत्तर

**सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)**

(क) पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना (CSPCP) के अंतर्गत पैक्स कंप्यूटरीकरण की कुल परियोजना लागत 2516 करोड़ रुपये है। उक्त परियोजना के अंतर्गत, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत 67 बहु-राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर, सहकारी बैंक स्वाभाविक रूप से सहकारी समितियां हैं जो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

(ख) सरकार ने ग्रामीण सहकारी समितियों में डिजिटल भुगतान प्रणाली और ऑनलाइन बैंकिंग शुरू करने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को आधुनिक और कारगर बनाना है। इन पहलों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने, पारदर्शिता में सुधार लाने और किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (PDCS) और ग्रामीण सहकारी बैंकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए "सहकारिता में सहकार" नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान लागू कर रहा है। इस अभियान के तहत, प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (PDCS) को ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) के बैंक मित्र (बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट) के रूप में नामांकित किया जाता है और उन्हें माइक्रो-एटीएम वितरित किए जाते हैं, जिससे वे सहकारी समितियों के सदस्यों को उनके घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकें। सहकारी समितियों के सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी प्रदान किया जाता है ताकि वे शून्य या कम ब्याज दर (ब्याज संसहायिकी) पर ऋण का लाभ उठा सकें।

नाबार्ड के माध्यम से, विभिन्न डिजिटल बैंकिंग समाधानों को शुरू करके ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित प्रयास किए गए हैं। इनमें शामिल हैं, ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन्स (CBS) के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना; पूर्वोत्तर क्षेत्र के बिना बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरिस्पॉन्डेंट (BC) कियोस्क आउटलेट स्थापित करने के लिए एक बार वित्तीय सहायता प्रदान करना; डिजिटल लेन-देन के लिए माइक्रो-एटीएम और PoS मशीनों जैसे हैंडहेल्ड उपकरणों को लगाना; RCBs को नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में सहायता प्रदान करना; बेहतर नेटवर्क एक्सेस के लिए V-SAT कनेक्टिविटी स्थापित करने और मोबाइल सिग्नल बूस्टर तैनात करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना; रूपे किसान कार्ड सक्रिय करने के लिए ग्रीन पिन सुविधा का समर्थन करना; भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के माध्यम से ऑनलाइन बिल भुगतान को बढ़ावा देना; और वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चलित प्रदर्शन वैन को तैनात करना।

(ग) एनसीडीसी केंद्रीय क्षेत्रक योजना-10,000 FPOs के गठन और संवर्धन के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है और ओडिशा राज्य में 27 FPOs को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है और उनके गठन और संवर्धन के लिए संचयी रूप से 562.15 लाख रुपये वितरित कर चुका है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात् राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) 2.0 के तहत, निम्नलिखित तीन घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

- i. ग्राम स्तरीय दुग्ध प्रापण प्रणाली की स्थापना
- ii. गुणवत्ता वाले दुग्ध खरीद के लिए दुग्ध शीतलन सुविधाएं
- iii. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

(घ) सहकारी क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में पैक्स, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) कार्यालय, आरसीएस कार्यालय, एआरडीबी का कम्प्यूटीकरण, सहकारी बैंकों के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन की स्थापना, ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए साझा सेवा इकाई की स्थापना आदि शामिल हैं।

(ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
